बिहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण। सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि १५ अप्रैल, १९५३ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

PROHIBITION SCHEME.

†156. **Shri NAND KISHORE NARAIN**: Will the Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

(*a*) whether the State Government have any intention to enforce prohibition scheme in any part of this State;

(*b*) if the answer to clause (*b*) be in the affirmative, do Government propose to depute some one from this State to study the prohibition scheme of the Madras Government and derive benefit from the success or failure of the said scheme?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: (*a*) There is no such intention at present.

(*b*) The matter is under consideration.

SYSTEM OF REVENUE COLLECTION.

158. **Shri NAND KISHORE NARAIN**: Will the Minister, in charge of the Revenue Department be pleased to state—whether Government consider it desirable to have uniform system of revenue collection and standardised forms and registers under the Revenue Department on the lines the U. P. Government have adopted; if so, whether Government propse to depute some persons to study the system and submit a report as to how this can be followed here?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: Government have even now a uniform system of revenue collection in the vested zamindari throughout the State on the lines prevalent in Government *khasmahal* excepting a few districts where the old system of collection of rent through raiyots, pradhans and others have beenr etained as an experimental measure with a view to have better rent collection in these areas. Forms and registers also as prescribed for collection and accounting in Government *khasmahal* have for the first time been introduced in the vested zamindari throughout the State. However it is under consideration of Government as to how best the system introduced can be improved and for this they propose to study the system prevalent not only in the U. P. but also in other Raiyotwari states like Bombay and Madras.

---

†In the absence of the member, reply was given at the request of Shri Basant Narayan Singh.

हजारीबाग जेल में चोर, डकैत तथा पाकिटमारों की संख्या।

*१६९१। श्री पुनीत राय—क्या मंत्री, कारागार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) हजारीबाग जेल में अभी चोर, डकैत, पाकिटमारों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या यह बात सही है कि इन चोरों, डकैतों एवं पाकिटमारों ने इस जेल में अपने-अपने विभागों का एक भारी संगठन बना रखा है ;

(ग) क्या यह बात सही है कि इन चोरों, डकैतों एवं पाकिटमारों की योजना जेल के अन्दर तैयार की जाती है एवं बाहर आने पर उस योजना को कार्यान्वित किया जाता है ;

(घ) क्या सरकार जेलों के अन्दर इनलोगों के ऊपर कड़ी निगरानी रखकर ऐसे संगठन, योजना एवं एक दूसरे से इन कार्यों के करने की शिक्षा से वंचित रखने का उपाय सोच रही है ;

श्री शाह मुहम्मद उजैर मुनिमी—११ अप्रैल, १९५३ तक की संख्या ७७६ हजारीबाग सेन्ट्रल जेल में है।

प्रश्न के दूसरे हिस्से का जवाब नकारात्मक है।

प्रश्न के तीसरे हिस्से का जवाब नकारात्मक है।

प्रश्न का चौथा हिस्सा पैदा ही नहीं होता है।

डिवीजन (१) और (३) के कैदियों पर खर्च।

*१६९२। श्री टीकाराम मांझी—क्या मंत्री, जेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) बिहार के जेल में प्रतिदिन और प्रतिमाह डिवीजन (१) और (३) के कैदियों पर कितना खर्च होता है ;

(ख) क्या यह बात सही है कि डिवीजन (१) के कैदियों पर माह में जो खर्च होता है वह सहायक जेलरों से ज्यादा है ;

(ग) यदि खंड (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इसका कारण क्या है ?

श्री शाह महमद उजैर मुनिमी—बिहार के जेल में डिवीजन '१' के कैदियों पर रोजाना १३६ रुपए का खर्च है और महावारी खर्च ४,०७७ रुपया ८ आना है। डिवीजन '३' के कैदिया पर रोजाना खर्च २२,४४० रुपया है और माहवारी खर्च ६,८३,४९९ रुपया है।

प्रश्न के दूसरे हिस्से का जवाब नकारात्मक है।

प्रश्न का तीसरा हिस्सा पैदा ही नहीं होता।

छपरा जेल में विचाराधीन कैदियों की संख्या।

*१६९३। श्री राम बसावन राम—क्या मंत्री, जेल विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) छपरा जेल में १९५२ से आज तक कितने विचाराधीन कैदी हैं और उनमें हरिजनों की संख्या कितनी है तथा वे किन-किन दफाओं के कैदी हैं ;